

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****लखनऊ****आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 4485 / 2026****ज़िलानी खान**

.....प्रार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, द्वारा प्रमुख सचिव,
गृह विभाग, लखनऊ

.....विपक्षी (गण)

प्रार्थी (गण) के अधिवक्ता	: प्रशंसा सिंह, कल्पना चौहान, अमित कुमार सिंह
विपक्षी (गण) के अधिवक्ता	: शा.अ.

न्यायालय संख्या - 12**माननीय न्यायमूर्ति, श्री प्रकाश सिंह**

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अ.शा.अ. को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

प्रार्थी की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र दायर कर मुकदमा अपराध संख्या 0069/2026 अंतर्गत धारा 8/21 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, थाना पूराकलंदर, जिला अयोध्या आरोप में दौरान परीक्षण प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गयी है।

प्र.सू.रि. में लगाए गए आरोपों के अनुसार, पुलिस ने प्रार्थी के पास से प्रतिबंधित पदार्थ, यानी 100 ग्राम स्मैक बरामद किया है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रार्थी निर्दोष है और पुलिस ने उसे झूठे मामले में फंसाया है। प्रार्थी के पास से जो प्रतिबंधित पदार्थ 100 ग्राम स्मैक बरामद होने का दावा किया गया है, उसकी मात्रा 'व्यावसायिक मात्रा' से कम है और इस कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

साक्षी नहीं है। उनका निवेदन है कि स्व.औ.म.प्र.प. अधिनियम की धारा 50 का पालन नहीं किया गया है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के 'आरिफ़ खान उर्फ़ आगा खान बनाम उत्तराखंड राज्य' (2018) 18 एस.सी.सी. 380 मामले के फैसले का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि तलाशी और बरामदगी के दौरान स्व.औ.म.प्र.प. अधिनियम की धारा 50 की अनिवार्य प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि प्रार्थी का चार मामलों का आपराधिक इतिहास रहा है, जिसका उल्लेख ज़मानत प्रार्थना पत्र के प्रस्तर 18 में विस्तार से किया गया है। प्रार्थी 6.2.2026 से जेल में है और अगर उसे ज़मानत प्रदान की जाती है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और परीक्षण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

इसके विपरीत, विद्वान अ.शा.अ. ने ज़मानत की प्रार्थना का विरोध करते हुए कहा कि प्रार्थी उक्त अपराध में शामिल था, क्योंकि उसके पास से प्रतिबंधित पदार्थ यानी 100 ग्राम स्मैक बरामद हुई है; इसलिए, प्रार्थी ज़मानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं है।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदनों को सुनने और अभिलेख का अवलोकन करने के पश्चात, यह साफ़ है कि बरामद प्रतिबंधित पदार्थ यानी 100 ग्राम स्मैक व्यावसायिक मात्रा से कम है; कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है; स्व.औ.म.प्र.प. अधिनियम की धारा 50 का पालन नहीं किया गया है; ज़मानत प्रार्थना पत्र के प्रस्तर 18 में प्रार्थी के आपराधिक इतिहास के बारे में बताया गया है; और प्रार्थी 6.2.2026 से जेल में निरुद्ध है।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदनों, आरोपों की प्रकृति, दोषी पाए जाने पर मिलने वाली सज़ा की गंभीरता, साक्ष्यों की प्रकृति, आरोपों के समर्थन में न्यायालय की प्रारम्भिक संतुष्टि, सज़ा के सुधारात्मक सिद्धांत और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे ज़मानत प्रदान करने लायक मामला मानता हूँ।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उपरोक्त अपराध में शामिल प्रार्थी **ज़िलानी खान** को ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का एक व्यक्तिगत बंध पत्र और दो ज़मानतदार प्रस्तुत करे, और साथ ही निम्नलिखित शर्तें भी पूरी करे:-

1. प्रार्थी विवेचना या परीक्षण के दौरान साक्षियों को डरा-धमकाकर या उन पर दबाव डालकर अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. प्रार्थी को यह वचन देना होगा कि जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथियों पर सुनवाई स्थगन की मांग नहीं करेगा। उसे नियत प्रत्येक तिथि पर परीक्षण न्यायालय के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के ज़रिए उपस्थित रहना होगा। अगर वह बिना किसी ठोस कारण के उपस्थित नहीं रहता है, तो परीक्षण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क के तहत उसके खिलाफ़ कार्यवाही कर सकती है।
3. प्रार्थी को (i) वाद प्रारम्भ करने, (ii) आरोप निर्धारित करने और (iii) धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर परीक्षण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहना होगा; और
4. अगर प्रार्थी परीक्षण के दौरान ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, और उसकी उपस्थित सुनिश्चित करने के लिए दं.प्र.सं. की धारा 82 के तहत उदघोषणा जारी की जाती है, और प्रार्थी उस उदघोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो परीक्षण न्यायालय उसके खिलाफ़ भारतीय दंड संहिता की धारा 174-क के तहत विधि अनुरूप कार्यवाही शुरू करेगा।

संबंधित न्यायालय प्रतिभुओं की पहचान, हैसियत और रिहायशी पते के साक्ष्यों की जांच करेगी। अगर ऊपर बताई गई शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होता है, तो अवर न्यायालय के पास ज़मानत रद्द करने और प्रार्थी को जेल भेजने का अधिकार होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल इस जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक ही सीमित हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर किसी भी तरह का प्रभाव डालने वाला नहीं माना जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति, श्री प्रकाश सिंह)

25 जून 2026

राम मूर्ति

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।